

कार्यालय

उपनिदेशक

फायर सर्विस

मेरठ

परिक्षेत्र।

पत्रांक:भ-238 डी00डी0/फा0स0/मेरठ-13 (गौत0)

दिनांक:सितम्बर

4.10.2013

सेवा मे,

महाप्रबन्धक (वास्तु एवं नियोजन)

यमुना एक्सप्रेस वे इण्डस्ट्रियल डवलपमेन्ट आथरिटी

गौतमबुद्धनगर।

विषय:

मैसर्स रायल होमटाऊन प्लानर्स प्रा0 लि0, द्वारा प्लॉट न0-जी0एच0-जी0-2, सेक्टर-25, एस0डी0जैड0 जे0पी0 स्पोर्ट काम्प्लैक्स यमुना एक्सप्रेस वे इण्डस्ट्रियल डवलपमेन्ट आथरिटी जनपद गौतमबुद्धनगर मे प्रस्तावित ग्रुप हाउसिंग भवन " बीटल लैप ग्रुप हाउसिंग" के निर्माण हेतु मानचित्रों की अनुज्ञा हेतु प्रोवीजनल अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण निर्गत किये जाने के सम्बन्ध मे।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक आवेदक द्वारा अपने प्रार्थना पत्र दिनांक: 25-09-2013 के माध्यम से उक्त प्रश्नगत प्लॉट पर अपार्टमेन्ट्स आवासीय भवन निर्माण हेतु मानचित्र एवं प्रश्नोत्तरी उपलब्ध कराते हुए अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

प्रश्नगत भवन के स्थल का निरीक्षण एवं मानचित्रों का अध्ययन अग्निशमन अधिकारी ग्रेटर नौएडा से कराया गया तो उनके द्वारा अपनी संस्तुति आख्या दिनांक: 28-09-2013 मुख्य अग्निशमन अधिकारी गौतमबुद्धनगर को उपलब्ध करायी गयी जिसका उनके द्वारा सुसंगत मानको के अनुसार परीक्षण कर अपनी संस्तुति आख्या अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध करायी गयी जिसका परीक्षण सुसंगत मानको के अनुसार किया गया प्रस्तावित भवन का विवरण निम्नवत है:-

भवन की संरचना:-प्लॉट एरिया-13,582.00 वर्ग मी0।

क्रमांक	नाम टावर	तलों की संख्या	टिपिकल कवर्ड एरिया	अधिभोग ऊँचाई/ अधिकतम ऊँचाई मी0 मे
1	टावर-ए0	02बेसमेन्ट, भूतल एवं 16 तल	652.335	57.00/55.50
2	टावर-बी0	02बेसमेन्ट, भूतल एवं 16 तल	652.335	57.00/55.50
3	टावर-सी0	02बेसमेन्ट, भूतल एवं 16 तल	652.335	57.00/55.50
4	टावर-डी0	02बेसमेन्ट, भूतल एवं 16 तल	652.335	57.00/55.50

बेसमेन्ट:- प्रश्नगत प्रस्तावित भवन मे 02 बेसमेन्ट जिनका एरिया-21,139.188 वर्ग मी0 है।

भवन का अधिभोग विवरण:- प्रस्तावित भवन का अधिभोग आवासीय अपार्टमेन्ट (एन0बी0सी-2005 की आवासीय श्रेणी ए0-4) के अन्तर्गत वर्गीकृत किया गया है।

ढाँचागत व्यवस्था:-

1- पहुँच मार्ग:- भूखण्ड के सामने मानचित्रों मे रोड की चौड़ाई 32 मी0 मानको के अनुसार अंकित की गई है जो भवन विनियमावली के मानको के अनुसार है तथा प्रवेश द्वार की चौड़ाई एन0बी0सी0 मानक के अनुसार है।

2- सैटबैक:- प्रस्तावित भवन का सैटबैक निम्नवत है:-

ए0-अग्रभाग-12.00 मी0।

बी0-पृष्ठ भाग-07.50 मी0।

सी0-पार्श्व भाग प्रथम-07.50 मी0।

डी0-पार्श्व भाग द्वितीय-07.50 मी0 प्रस्तावित है।

उपरोक्तानुसार भवन विनियमावली मानको के अनुसार है जो सदैव हार्ड सरफेस युक्त एवं अवरोध मुक्त रखे जाये जिसमे किसी प्रकार का स्थाई/ अस्थायी निर्माण कार्य अनुमन्य नहीं होगा।

3- निकास मार्ग:- प्रस्तावित भवन के प्रत्येक टावर मे 02 स्टेयरकेश प्रस्तावित है प्रत्येक स्टेयर की चौड़ाई 1.5 मी0 प्रस्तावित है, जिनकी फ्लोर के समस्त स्थानों से ट्रेवलिंग डिस्टेन्स अधिकतम अनुमन्य सीमा के अन्तर्गत है।

4- रिफ्यूज एरिया:- भवन मे रिफ्यूज एरिया हेतु प्रत्येक फ्लैट पर बालकनी का प्राविधान है जो एन0बी0सी0 मानक के अनुसार है।

घ-अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था:- एन0बी0सी0 2005 के अनुसार निम्नांकित अग्निशमन व्यवस्थाएँ कराया जाना वाँछनीय है।

1-भूमिगत:- प्रश्नगत भवन मे 2,00,000 दो लाख लीटर क्षमता का भूमिगत टैंक मानकों के अनुसार वाँछनीय है।

(अमन)

निदेशक

2-पम्पस:- भूमिगत टैंक के पास अग्निशमन कार्यो हेतु 2280 एल0पी0एम0 क्षमता का 02 अदद मेन विद्युत चालित पम्प, इतनी ही क्षमता का एक अदद डीजल चालित पम्प तथा 01 अदद जौकी पम्प मानको के अनुसार स्थापित कराये जाने वॉच्छनीय है।

3-टेरिस टैंक: समस्त टावरो की टेरिस पर टेरिस टैंक क्षमता 10,000 दस हजार ली0, स्थापित कराया जाना एन0बी0सी0 मानक के अनुसार वॉच्छनीय है।

4-होजरील मय डाउनकामर:- प्रस्तावित भवन मे प्रत्येक टावर मे प्रत्येक तल पर होजरील लैण्डिंग वाल्व, मय होज बाक्स, होज पाइप, एवं ब्रान्च पाइप का प्राविधान एन0बी0सी0 एवं आई0एस0 मानको के अनुसार वॉच्छनीय है।

5-वेटराइजर:- प्रस्तावित भवन मे 100 एमएम का वेटराइजर का प्राविधान एवं फायर सर्विस इन्लेट का मानको के अनुसार वॉच्छनीय है।

6-मैनुवल आपरेटिड इलैक्ट्रिक फायर एलार्म सिस्टम:- सम्पूर्ण भवन के समस्त टावरो मे मैनुवल आपरेटिड इलैक्ट्रिक फायर एलार्म सिस्टम एन0बी0सी0 मानक के अनुसार वॉच्छनीय है।

7-आटोमेटिक डिटेक्शन एण्ड फायर एलार्म सिस्टम:- सम्पूर्ण भवन के समस्त टावरो मे आटोमेटिक डिटेक्शन एण्ड फायर एलार्म सिस्टम एन0बी0सी0 मानक के अनुसार वॉच्छनीय है।

8-आटोमेटिक स्प्रिंकलर सिस्टम:- समस्त टावरों के सम्पूर्ण भवन मे आटोमेटिक स्प्रिंकलर सिस्टम एन0बी0सी0 मानक के अनुसार वॉच्छनीय है।

9-स्मोक एक्सट्रैक्शन:- प्रश्नगत भवन मे 02 वेसमेन्ट है जिनमे स्मोक एक्सट्रैक्शन सिस्टम एन0बी0सी0 मानक के अनुसार वॉच्छनीय है।

10-प्राथमिक अग्निशमन उपकरण (फायर एक्सटिंग्यूशर):- प्रस्तावित भवन मे निर्माण के उपरान्त फायर एक्सटिंग्यूशर आई0एस0- 2190 के अनुसार वॉच्छनीय है।

11-एग्जिट साईनेज:- सम्पूर्ण भवन के समस्त टावरो मे एग्जिट साईनेज एन0बी0सी0 मानक के अनुसार वॉच्छनीय है।

12-पी0ए0 सिस्टम:- सम्पूर्ण भवन के समस्त टावरो मे पी0ए0 सिस्टम एन0बी0सी0 मानक के अनुसार वॉच्छनीय है।

13-प्रशिक्षित स्टाफ:- प्रश्नगत भवन मे अधिष्ठापित अग्निशमन व्यवस्थाओं के संचालन हेतु व्यवसायिक रूप से दक्ष कर्मी एवं प्रशिक्षित फायर आफिसर एन0बी0सी0-2005 के प्रस्तर सी0-6 के अनुसार नियुक्त किया जाना वॉच्छनीय है।

उपरोक्त के अतिरिक्त निर्माण कार्य के उपरान्त अग्निशमन व्यवस्थाओं को वैकल्पिक विद्युत आपूर्ति के श्रोत से संयोजित किया जाना एवं इनके संचालन हेतु प्रशिक्षित स्टाफ रखा जाना अनिवार्य होगा तथा भवन मे फायर ड्रिल, अग्निशमन पद्धति का अनुरक्षण व सावधि अग्नि सुरक्षा लेखा परीक्षा कराई जानी मानको के अनुसार वॉच्छनीय होगी यदि किसी प्रकार का निर्माण कार्य कराया जाता है तो उसके लिए अग्निशमन विभाग अलग से स्वीकृति प्राप्त की जानी अनिवार्य होगी।

अतः उपरोक्तानुसार मैसर्स रायल होमटाऊन प्लानर्स प्रा0 लि0, द्वारा प्लॉट न0-जी0एच0-जी0-2, सेक्टर-25, एस0डी0जैड0 जे0पी0 स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स यमुना एक्सप्रेस वे इण्डस्ट्रियल डवलपमेन्ट आथरिटी जनपद गौतमबुद्धनगर मे प्रस्तावित ग्रुप हाउसिंग भवन "बीटल लैप" ग्रुप हाउसिंग के निर्माण हेतु प्रोवीजनल अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र इस शर्त के साथ निर्गत की जाती है कि आवेदक द्वारा भवन/इकाई में अग्नि से सुरक्षा सम्बन्धी सभी प्राविधान भवन निर्माण एवं विकास उपविधि-2010 तथा नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इण्डिया-2005 एवं तत्समय पृवत्त किसी अन्य विधि मे उल्लेखित मानको के अनुसार करायें जायेंगे तथा भवन के निर्माणोपरान्त भवन का प्रयोग करने से पहले भवन में अग्नि से सुरक्षा व्यवस्थायें मानकों के अनुसार स्थापित कर उनका निरीक्षण/परीक्षण अग्निशमन विभाग से कराकर स्थाई अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जायेगा अन्यथा निर्गत किया जा रहा भवन निर्माण हेतु अस्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा।

संलग्नक: अनुमोदित मानचित्र अदद।

(अमन शर्मा)
उप निदेशक, फायर सर्विस,
मेरठ, मरिक्खत्र।

प्रतिलिपि: 1-मुख्य अग्निशमन अधिकारी गौतमबुद्धनगर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

2-अग्निशमन अधिकारी ग्रेटर नौएडा जनपद गौतमबुद्धनगर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

3- मैसर्स रायल होमटाऊन प्लानर्स प्रा0 लि0, नई दिल्ली को उक्त के सन्दर्भ मे अनुपालनार्थ।